14 (क) -- 3

पत्रांक –3/एम०–60/2022सा0प्र0..15498/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ......1-9-.. 2022

विषय– बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए निर्धारित कार्यावधि एवं भोजनावकाश का अनुपालन तथा Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक–3450 दिनांक–02.12.2006, संकल्प ज्ञापांक–4754 दिनांक–31.12.2007 एवं परिपत्र संख्या–2462 दिनांक–30.04.2008 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/कार्यालयों में साप्ताहिक कार्यदिवस एवं कार्य अवधि के संदर्भ में संसूचित निम्नांकित निर्णय सम्प्रति प्रभावी है–

(क) 05 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले विभागों/कार्यालयों के लिए–

(i) कार्य अवधि – पूर्वाह्न 09:30 से अपराह्न 06:00 बजे तक (महिला कर्मियों के लिए अपराह्न 05:00 बजे तक)

(ii) भोजन अवकाश– अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।

(ख) 06 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों के लिए–

(i) कार्य अवधि – पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक (नवम्बर से फरवरी माह तक पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)

(ii) भोजन अवकाश– अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।

2. गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक–8986 दिनांक–12.08.2022 द्वारा दिनांक–29.08.2022 से विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।

3. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्यदिवस में कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा गृह विभाग (विशेष शाखा) के निदेशानुसार Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश भी अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

31.8.2022

(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।